(133)

न्यायालय श्रीमान माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर सदस्य
(शिविर भोपाल) म0प्र0

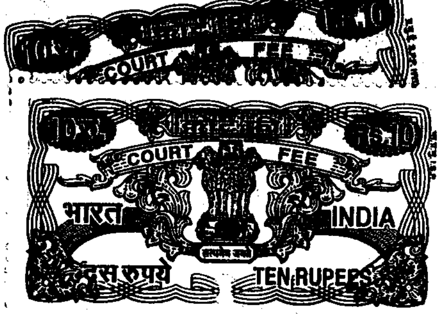

R1524-PBR/17

नरीक्षण याचिका क्रं0 :—

स्तुत दिनांक :— 23/05/2017

याचिकाकर्तागण :— 1.अशोक आ0 गेंदालाल बड़ोदिया उम्र लगभग 45 वर्ष
अनावेदकगण 2. राधेश्याम आ0 गेंदालाल बड़ोदिया उम्र लगभग 40 वर्ष
दोनों निवासी ग्राम नयागांव तह0 टिमरनी जिला हरदा म0प्र0

बनाम

उत्तरवादी :— रामभरोस आ0 कुंजीलाल बड़ोदिया उम्र लगभग 65 वर्ष निवासी ग्राम
आवेदक नयागांव तह0 टिमरनी जिला हरदा म0प्र0 हाल निवास चंदर सराफ की बाड़ी वार्ड नं0 16 तह0 व जिला हरदा

माननीय निम्न न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय टिमरनी जिला हरदा के द्वारा निर्णित राजस्व प्रकरण क्रं0 4/अ70/वर्ष 16—17 ग्राम चूरनी तहसील टिमरनी जिला हरदा पक्षकार रामभरोस बनाम अशोक वगैरा के प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06/4/2017 से उद्‌भूत निगरानी/पुनरीक्षण याचिका

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी —पीबीआर/17 जिला हरदा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23—5—2017	आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 6—4—2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा पाते हुये प्रकरण के निराकरण तक कब्जा दिलाये जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है एवं नायब तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहाॅ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	